



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23022023-243807
CG-DL-E-23022023-243807

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 776]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 22, 2023/फाल्गुन 3, 1944

No. 776]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 22, 2023/PHALGUNA 3, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली 22 फरवरी, 2023

का.आ. 809(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 5609(E) तारीख: 01 दिसंबर 2022 और का.आ. 145(अ) तारीख: 10 जनवरी 2023 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के जम्मू जिले में रिंग रोड के कि.मी. 0.687 से कि.मी. 57.568 यानी राया मोड़ से जगती तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "07 दिसंबर 2022" और "12 जनवरी 2023" को "डेली एक्सेलसियर" और "अमर उजाला" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के जम्मू जिले में रिंग रोड (NH-244A) के कि.मी. -0.687 से कि.मी.57.568 यानी राया मोड़ से जगती के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण ।

राज्य का नाम: जम्मू और कश्मीर			जिले का नाम: जम्मू		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: मण्डल				
	गांव का नाम: सोहंजना				
1	558	निजी	कृषि	0.025	मालिक: जगदीश सिंह जगतार सिंह पुत्र बराबर 10 शेयर एमएसटी विष्णु देवी बेटियाँ एमएसटी संदुरन की परकाशो देवी विधवा आधे हिस्से में से 2 हिस्से के बराबर राम सिंह वरम सिंह गुर्जर के बेटे बराबर आधा हिस्सा मन्हास निवासी देह कल्टीवेटर: सेल्फ कल्टीवेशन ()
	तालुक का नाम: रनवीर सिंह पुरा				
	गांव का नाम: बनसुल्तान				
1	234 min	निजी	कृषि	0.0089	मालिक: लोकेश कुमार व अन्य विक्रेता कल्टीवेटर: विजय कुंडल अजय कुंडल संजय कुंडल सेवा राम चमार के पुत्र वंडी सेल्फ कल्टीवेशन ()
2	236 min	निजी	कृषि	0.0278	मालिक: मोहम्मद इकबाल पुत्र अल्ला दित्ता शेख सपरा निवासी देह कल्टीवेटर: दर्शन लाल कृष्ण लाल बेली राम के पुत्र अलॉटी लब्बू राम के पुत्र सेवा राम द्वारा खेती की जाती है आर/ओ देह गैर मरुसी ()

गांव का नाम: दरसोपुर					
3	134	निजी	कृषि	0.0367	मालिक: योगराज मुख राज सतपाल मनोहर लाल पुत्र श्रीमती शकुंतला देवी पुत्री नंद लाल उर्फ नंदू एक शेयर राहुल पुत्र श्रीमती गीता देवी पत्नी गरू राम एक शेयर गुरदास पुत्र श्रीमती शांति देवी पुत्री अत्रू दो शेयर 14 कनाल 9 मरला रामपाल एवं अन्य खेवत के अनुसार नंबर 20, 3 कनाल 12 मरला चमार निवासी देह कल्टीवेटर: योगराज मुख राज सतपाल मनोहर लाल पुत्र शकुंतला देवी नंद लाल की पुत्री ()
गांव का नाम: मारालियां					
4	45	निजी	कृषि	0.0367	मालिक: सोदागर सिंह पुत्र अमर सिंह ग्रामीण बैंक शाखा कोटली मियां फतेह में कर्जदार कल्टीवेटर: सेल्फ कल्टीवेशन ()
गांव का नाम: तूत्रे					
5	7	निजी	कृषि	0.0367	मालिक: चेत राम पुत्र गोपी चंद एक कनाल 14 मरला ज्ञान सिंह पुत्र करतार सिंह एक कनाल 6 मरला कल्टीवेटर: लब्बा राम पुत्र बद्री और बलवंत राज बाबू राम पुत्र शंकर जाट कबजान ()
			कुल	0.1718	

[फा. सं. NHAI/PIU-JMU/RR/001/3D]

अभय जैन, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd February, 2023

S.O. 809(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, SO 5609(E) dated: 01.12.2022 & SO 145(E) dated: 10.01.2023 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of Ring Road on the stretch of land from Km. 0.687 to Km. 57.568 i.e. Raya Morh to Jagti in the district of JAMMU in the Union Territory of JAMMU & KASHMIR;

And whereas the substance of the said notification has been published in “**Daily Excelsior**” and “**Amar Ujala**” dated 07.12.2022 & dated 12.01.2023; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling Ring Road in the stretch of land from Raya Morh to Jagti on Ring Road (NH-244A) in the district of JAMMU in the Union Territory of JAMMU & KASHMIR.

State: JAMMU & KASHMIR			District: JAMMU		
Sl. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Mandal				
	Village: Sohanjana				
1	558	Private	Agriculture	0.025	Owner: Jagdish singh jagatar singh sons equal 10 share mst. Vishnu devi daughters mst. Parkasho devi widow of sanduran equal 2 share out of half share ram singh varyam singh sons of gurjar equal half share manhas r/o deh Cultivator: Self Cultivation
	Taluk: Ranbir Singh Pura				
	Village: Bansultan				
1	234 min	Private	Agriculture	0.0089	Owner: Lokesh Kumar and others vendor Cultivator: Vijay Kundal Ajay Kundal Sanjay Kundal sons of Sewa Ram Chamar vandee self cultivation
2	236 min	Private	Agriculture	0.0278	Owner: Mohammad Iqbal son of Alla Ditta Sheikh Sapra R/o deh Cultivator: Darshan lal Krishan lal sons of beli ram alottee cultivated by Sewa Ram son of Labbu Ram R/o deh Gair Marusi
	Village: Darsopur				
3	134	Private	Agriculture	0.0367	Owner: Yograj Mulkh Raj Satpal Manohar Lal sons Smt Shakuntala Devi daughter of Nand Lal alias Nandu one share Rahul son Smt Geeta Devi wife of Garu Ram one share Gurdas son Smt Shanti Devi daughter of Atru two share in 14 kanal 9 marla Rampal and others as per Khewat Number 20, 3 kanal 12 marla chamar r/o deh Cultivator: Yograj Mulkh Raj Satpal Manohar Lal sons

					Shakuntala Devi daughter of Nand Lal
	Village: Maralian				
4	45	Private	Agriculture	0.0367	Owner: Sodagar Singh son of Amar Singh mortgage in Rural Bank Branch Kolti Mian Fateh Cultivator: Self Cultivation
	Village: Tootrey				
5	7	Private	Agriculture	0.0367	Owner: Chet Ram son of Gopi Chand one kanal 14 marla Gyan Singh Son of Kartar Singh one kanal 6 marla Cultivator: Labba Ram son of Badri and Balwant Raj Babu Ram son of Shanker Jatt Kabazaan
			TOTAL	0.1718	

[F. No. NHAI/PIU-JMU/RR/001/3D]

ABHAY JAIN, Dy. Secy.